सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 1)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर

याचिकाकर्ता - सुखदेव सिंह और एक अन्य

बनाम

प्रतिवादी - हरियाणा राज्य और अन्य

1999 का सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 12919

30 मई, 2003

भारत का संविधान, 1950- कला 21 और 226- हरियाणा अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 और 30 अक्तूबर, 1998 - स्टोन क्रशिंग क्षेत्रों की पहचान - सरकार ने दिनांक 30 अक्तूबर, 1998 की अधिसूचना जारी करके 18 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना में यथा निर्धारित अबादी गांव से स्टोन क्रशरों के समन्वयोजन के लिए न्यूनतम दूरी को कम कर दिया - इसे चुनौती दें - दिनांक 18 दिसम्बर की अधिसूचना को कोई चुनौती नहीं। 1997- उच्च न्यायालय पहले ही अनेक मामलों

में दिनांक 30 अक्तूबर, 1998 की अधिसूचना को बरकरार रखे हुए है - विचारणीयता - न्यायिक और रचनात्मक निर्णय के सिद्धांतों पर प्रतिबंधित याचिकाएं - जनहित याचिका - जिसका अर्थ - व्यक्तिगत लाभ या निजी लाभ या राजनीतिक उद्देश्य या किसी भी अप्रत्यक्ष विचार के लिए नहीं - याचिकाओं में कोई सार्वजनिक हित नहीं है - जनता के अलावा अन्य हितों से प्रेरित याचिकाएं - अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग - याचिकाएं खारिज की जा रही हैं - लागत अधिरोपित।

माना जाता है कि रिट याचिकाएं पूरी तरह से गलत हैं। दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना को चुनौती भी नहीं दी गई है। चुनौती केवल 30 अक्तूबर, 1998 की अधिसूचना को दी गई है जो 18 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना का संशोधन मात्र है। इस अधिसूचना द्वारा 18 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना द्वारा अबादी गांव से स्टोन क्रशर स्थापित करने के लिए न्यूनतम सीमा के रूप में 1 किमी की सीमा को घटाकर 400 मीटर कर दिया गया है। दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना स्टोन क्रशरों

द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा राज्य द्वारा उठाए गए कदमों की परिणति है।

(अनुच्छेद 16)

इसके अलावा, यह माना गया कि पहचाने गए क्रशिंग जोन के भीतर स्टोन क्रशर के लिए निर्धारित सीमा के पैरामीटर, पहचाने गए जोन के बाहर स्टोन क्रशर के लिए निर्धारित पैरामीटर के समान नहीं थे। सभी अधिसूचनाओं को प्रतिवादी संख्या 4 और कुछ अन्य द्वारा 1995 के सीडब्ल्यूपी नंबर 17459 में चुनौती दी गई थी। उसी को आरम्भ में खारिज कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर सिविल अपीलों को वापसी के रूप में खारिज कर दिया गया था। 1995 के सीडब्ल्यूपी 17459 में दिए गए निर्णय में डिवीजन बेंच द्वारा बताए गए कारणों के लिए, वर्तमान रिट याचिकाओं को न्यायिक रचनात्मक समीक्षा के सिद्धांतों पर रोक दिया जाता है।

(अनुच्छेद 22 और 23)

इसके अलावा, यह माना गया कि नीति के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत संकीर्ण सीमाओं तक ही सीमित है। इसलिए, हमें समय-समय पर अबादी गांव से स्टोन क्रशर स्थापित करने के लिए दूरी सीमा को संशोधित करने में हरियाणा राज्य द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

(अनुच्छेद 40)

आगे कहा गया कि रिट याचिकाएं जनहित में दायर नहीं की गई हैं। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए दावों में रत्ती भर भी सच्चाई होती, तो वे 18 दिसंबर, 1997 की अधिसूचना के मूल प्रावधान को चुनौती देते, जिसमें अबादी गांव से एक किलोमीटर की दूरी से चिन्हित क्षेत्रों के भीतर स्थित स्टोन क्रशरों को छोड़ दिया गया था। याचिकाकर्ता गांव की जनता के अलावा अन्य हितों से प्रेरित हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा जनहित याचिका के नाम पर इस न्यायालय की प्रक्रिया का पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है। रिट याचिकाएं गांव के निवासियों की किसी भी शिकायत का वास्तव में निवारण करने के लिए अच्छी नीयत से दायर नहीं की गई हैं। ऐसा लगता है कि रिट

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 5)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

याचिकाएं केवल वर्तमान मापदंडों के तहत नए स्टोन क्रशरों की स्थापना को रोकने के लिए दायर की गई हैं।

(अनुच्छेद 41 और 43)

2. 1998 का सी.डब्ल्यू.पी. नं. 17168

सुखदेव सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और

अन्य ।

3. 1999 का सी.डब्ल्यू.पी. नं. 8121

सतीश कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य।

जे.के सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के वकील सपन धीर ने पक्ष रखा

रणधीर सिंह, सीनियर डिप्टी सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा, प्रतिवादी-राज्य

वरिष्ठ वकील एम.एल. सरीन, हेमंत सरीन के साथ, प्रतिवादी के लिए वकील - नंबर 2

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 6)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

एच.एस. मत्तेवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव शर्मा, अधिवक्ता - प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के लिए

निर्णय

जस्टिस एस.एस. निज्जर

(1) यह निर्णय 1999 के सीडब्ल्यूपी संख्या 12919, 1998 के 17168 और 1999 के 8121 का निपटारा करेगा। यह दावा किया जाता है कि रिट याचिकाएं जनहित में दायर की गई हैं।

(2) सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए जनहित याचिका (पी 1 एल) की अवधारणा का नेतृत्व किया।

(3) भारतीय समाज के गरीब, अनजान और सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्गों की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए शुरु में जनहित याचिका का सहारा लिया गया था।

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 7)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

सामान्य प्रक्रिया से, समाज के कई कमजोर वर्ग कानून की सामान्य रूप से धीमी और महंगी प्रक्रिया के कारण न्याय के पोर्टल तक नहीं पहुंच पाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत भारतीय समाज के कमज़ोर वर्गों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जनहित याचिका का सहारा लिया गया था। लेकिन जनहित याचिकाओं का यह क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ गया है। इसलिए, उच्चतम न्यायालय को कई अवसरों पर दिशा-निर्देश निर्धारित करने पड़े हैं जिनमें किसी विशेष मामले को जनहित याचिका के रूप में माना जा सकता है। केवल इसलिए कि जनहित याचिका में एक रिट याचिका दायर की जानी है, अदालतों द्वारा इसके अंकित मूल्य पर नहीं लिया जाना चाहिए। न्यायालयों को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या यह याचिका किसी मौलिक अधिकार की रक्षा करने या समाज में किसी विशेष खतरे को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रस्तुत की गई है। बाल्को कर्मचारी संघ (रजि.) बनाम भारत संघ[1] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की :-

[1] ए आई आर 2000 एस सी 350

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 8)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

"76 जनहित याचिका, या पीआईएल, जैसा कि यह आमतौर पर जाना जाता है, 1970 में भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में प्रवेश किया। यह कहना गलत नहीं होगा कि मुख्य रूप से न्यायाधीशों ने इस प्रकार के मुकदमेबाजी को नया रूप दिया है क्योंकि इसकी सख्त ज़रूरत थी। उस स्तर पर, यदि सार्वजनिक हित को सही ठहराने का इरादा था, जहां गरीब, अनजान या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित स्थिति में लोगों के मौलिक और अन्य अधिकारों का समर्थन करने की आवश्यकता थी और वे कानूनी निवारण की तलाश करने में असमर्थ थे। जनहित याचिका का उद्देश्य विरोधात्मक प्रकृति का नहीं था और यह पक्षकारों और न्यायालय का एक सहकारी और सहयोगात्मक प्रयास था ताकि गरीबों और समुदाय के कमज़ोर वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके जो अपने स्वयं के हितों की रक्षा करने की स्थिति में नहीं थे। जनहित याचिका का उद्देश्य उन शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं था जो स्वयं कहे गए थे, जैसे कि जनता के हित में मुकदमेबाजी।

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 9)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

77. जबकि शुरु में जनहित याचिका ज्यादातर लोगों और समाज के कमज़ोर वर्गों को राहत से संबंधित मामलों में और उन क्षेत्रों में लागू की गई थी जहां अनुच्छेद 21 के तहत मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ था, लेकिन समय बीतने के साथ, याचिकाओं पर अन्य क्षेत्रों में विचार किया गया है। प्रो. एस बी साठे ने क्षेत्राधिकार की सीमा को संक्षेप में प्रस्तुत किया है जिसका प्रयोग अब निम्नलिखित शब्दों में किया गया है -

पीठ ने कहा, "इसलिए जनहित याचिका को निम्नलिखित मापदंडों में से एक या अधिक को संतुष्ट करने वाला बताया जा सकता है। ये अनन्य नहीं हैं लेकिन केवल वर्णनात्मक हैं,

***जहां याचिका में अंतर्निहित चिंताएं व्यक्तिवादी नहीं हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों (बंधुआ मजदूर, विचाराधीन कैदी, जेल कैदी) द्वारा व्यापक रूप से साझा की जाती हैं।**

***जहां प्रभावित व्यक्ति समाज के वंचित वर्गों (महिलाएं, बच्चे, बंधुआ मज़दूर, असंगठित श्रमिक आदि) से संबंधित हैं।**

***जहां शोषण (अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण, वेश्याओं के बच्चों की शिक्षा) से बचने के लिए न्यायिक कानून बनाना आवश्यक है।**

***जहां न्यायिक हस्तक्षेप पवित्रता या धर्मशासित संस्थानों (न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शिकायत निवारण मंचों का अस्तित्व) के संरक्षण के लिए आवश्यक है।**

***जहां विकास से संबंधित प्रशासनिक निर्णय हवा या पानी जैसे संसाधनों के लिए हानिकारक हैं।**

78. हाल के वर्षों में, एक धारणा बनी है जो बिना किसी आधार के नहीं है कि जनहित याचिका अब प्रचार हित याचिका या निजी हित याचिका बन रही है और इसमें प्रति-उत्पादक होने की प्रवृत्ति है।

79. जनहित याचिका सभी गलतियों के लिए गोली या रामबाण नहीं है। ये अनिवार्य रूप से कमजोर और वंचित लोगों के बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए था और

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 11)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

एक ऐसी प्रक्रिया थी जो नवीन थी जहां एक सार्वजनिक उत्साही व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों की ओर से एक याचिका दायर करता है जो गरीबी, असहायता या आर्थिक और सामाजिक विकलांगता के कारण राहत के लिए अदालत से संपर्क नहीं कर सकते थे। हाल ही के दिनों में, जनहित याचिका के दुरुपयोग के मामले तेज़ी से बढ़े हैं। इसलिए, उन मापदंडों पर फिर से बल देने की आवश्यकता है जिनके भीतर एक याचिकाकर्ता द्वारा जनहित याचिका का सहारा लिया जा सकता है और न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है। यह पहलू इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया है और हमें बस इतना करना है कि हम इस पर फिर से बल दें।

(4) इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने एस.पी गुप्ता बनाम भारत संघ[2] **के मामले में भगवती, जे को उद्धृत किया और एक अन्य जिसमें यह निम्नानुसार देखा गया: -**

[2] **1981 (Supp.) एस सी सी 87**

"24. लेकिन हमें यह देखने में सावधानी बरतनी चाहिए कि जनता का जो सदस्य इस प्रकार के मामलों में अदालत का दरवाजा खटखटाता है, वह ईमानदारी से काम कर रहा है, न कि व्यक्तिगत लाभ या निजी लाभ या राजनीतिक प्रेरणा या अन्य परोक्ष विचार के लिए....।"

(5) जस्टिस भगवती की उपरोक्त टिप्पणियों को श्री सच्चिदानंद पांडे और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य[3] **वी. खालिद, जे. के मामले में दोहराया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है :-**

"61. ऐसा तभी होता है जब अदालतों को किसी समूह या वर्ग कार्रवाई द्वारा मौलिक अधिकारों के घोर उल्लंघन के बारे में अवगत कराया जाता है या जब बुनियादी मानवाधिकारों पर हमला किया जाता है या जब न्यायिक विवेक को झटका देने वाले ऐसे कृत्यों की शिकायतें होती हैं, तो अदालतों, विशेष रूप से इस अदालत को छोड़

---

[3] **ए आई आर 1987 एस.सी.1109**

देना चाहिए। प्रक्रियात्मक बंधनों को दूर रखें और ऐसी याचिकाओं की सुनवाई करें और जरूरतमंदों, वंचितों और उपेक्षितों की कठिनाइयों और दुखों के समाधान के लिए सभी उपलब्ध प्रावधानों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करें। जब ऐसी मदद की आवश्यकता होगी तो मैं मदद करने में किसी से पीछे नहीं रहूँगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस न्यायालय के दरवाजे किसी के भी अंदर आने के लिए हमेशा खुले हैं। न्युब्लिक हित वादकारियों पर कुछ आत्म-नियंत्रण रखना आवश्यक है।" (बल दिया गया)

(6) इसके बाद, जनता दल बनाम एच.एस चौधरी और अन्य[4] के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

"109. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि केवल एक व्यक्ति जो नेकनीयती से कार्य कर रहा है और जनहित याचिका की कार्यवाही में पर्याप्त रुचि रखता है, उसके पास ही अधिकार

---

[4] **1992, 4 इस सी सी -305**

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 14)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

होगा और वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से पीड़ित गरीबों और ज़रूरतमंदों के आँसू पोंछने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ या निजी लाभ या राजनीतिक उद्देश्य या किसी भी परोक्ष विचार के लिए नहीं। इसी तरह, किसी भी व्यक्तिगत शिकायतों को सही साबित करने के लिए अदालत के समक्ष लाई गई जनहित याचिका के रंग में एक अपमानजनक याचिका को सीमा पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। (बल दिया गया)

....व्यस्त लोग, कामचोर मध्यस्थ, राहगीर या आधिकारिक हस्तक्षेप करने वाले जिनका अपने लिए या दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में या किसी अन्य बाहरी प्रेरणा के लिए या प्रचार की चकाचौंध के लिए व्यक्तिगत लाभ या निजी लाभ के अलावा कोई सार्वजनिक हित नहीं होता है, वे अपनी कतार तोड़ देते हैं जनहित याचिका का मुखौटा पहनकर अदालतों में प्रवेश करते हैं और कष्टप्रद तथा तुच्छ याचिकाएँ दायर करते हैं और इस प्रकार अदालतों का बहुमूल्य समय आपराधिक तरीके से बर्बाद करते हैं और जिसके परिणामस्वरूप अदालत के दरवाजे के बाहर खड़ी कतार कभी नहीं हटती जो

तीखी होती है। स्थिति वास्तविक वादियों के मन में निराशा पैदा करती है और परिणामस्वरूप वे हमारी न्यायिक प्रणाली के प्रशासन में विश्वास खो देते हैं।

(7) उपरोक्त प्रस्तावना के साथ, अब हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर वर्तमान तीन रिट याचिकाओं की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त तीन रिट याचिकाओं में पक्षकारों की भारी-भरकम दलीलों से संबंधित तथ्यों को सामने लाया गया है।

(8) 1999 की सीडब्ल्यूपी संख्या 8121 दो व्यक्तियों द्वारा दायर की गई है, जिसमें 30 अक्टूबर, 1998 की अधिसूचना को रद्द करने और उत्तरदाताओं को उचित पारित करने का निर्देश देने वाले परमादेश की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए प्रार्थना की गई है। गुड़गांव क्षेत्र में अधिसूचित क्रशिंग जोन के बाहर चल रहे स्टोन क्रशरों को "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त किए बिना बंद करने के आदेश। वे विशेष रूप से 9 जून, 1992 की अधिसूचना में निर्धारित 1000 मीटर की न्यूनतम सीमा को घटाकर 400 मीटर किए जाने से व्यथित थे। इसी तरह ग्राम नौरंगपुर के 20 निवासियों द्वारा 1998 का सीडब्ल्यूपी

नंबर 17168 दायर किया गया है। उन्होंने दलील दी है कि 1994 के सीडब्ल्यूपी संख्या 7418 (ईश्वर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य)[5] **में 10 जुलाई, 1995 को इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय द्वारा बंद किए गए स्टोन क्रशर इकाइयों के काम को पुनर्जीवित करने में हरियाणा सरकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के कारण उन्हें फिर से अदालत आने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने दलील दी है कि हरियाणा राज्य की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 (जी) के तहत निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में संरक्षित स्वस्थ पर्यावरण के उनके अधिकार का भी उल्लंघन किया गया है। उन्होंने दलील दी है कि स्टोन क्रशरों की ओर से कई मुकदमे दायर किए गए थे, जिन्हें ईश्वर सिंह के मामले (पूर्व) में पारित इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर बंद करने का निर्देश दिया गया था। पत्थर तोड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हार गए थे। अनिच्छा से, स्टोन क्रशर इकाइयों को चिन्हित क्षेत्रों या मापदंडों की निर्धारित सीमा के भीतर आने**

---

[5] **1995-3 पीएलआर 613**

वाले नए स्थलों पर स्थानांतरित कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं को पता चला था कि हरियाणा राज्य 18 दिसंबर, 1997 की अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम दूरी को 400 मीटर या उससे अधिक तक कम करने का इरादा रखता है। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों को 24 सितंबर, 1998 को एक कानूनी नोटिस भेजा जिसमें उन्हें 1 किमी से 500 मीटर की दूरी में छूट देने से बचने के लिए कहा गया। हालांकि, कानूनी नोटिस पर कोई निर्णय लिए बिना, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने 30 अक्टूबर, 1998 को अधिसूचना जारी की, जिसमें निर्धारित दूरी को 400 मीटर तक कम कर दिया गया। इस अधिसूचना का प्रभाव ईश्वर सिंह के मामले (पूर्व) में पारित इस न्यायालय के फैसले को रद्द करना होगा। वे इस अनुरोध के साथ अदालत में आए हैं कि गांव की आबादी से न्यूनतम दूरी को घटाकर 400 मीटर करने वाली अधिसूचना, अनुलग्नक पी -9 को रद्द कर दिया जाए। यह कहा गया है कि अधिसूचना बाह्य विचार के लिए जारी की गई है और आगे कहा गया है कि इससे पहले भी, सुप्रीम कोर्ट के पास व्यापक वायु प्रदूषण के संबंध में समस्या पर विचार करने का अवसर था जब 1985 का सीडब्ल्यूपी नंबर 4677

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 18)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

(एमसी मेहता आदि बनाम **भारत संघ और अन्य**[6] **और 1994 का सीडब्ल्यूपी नंबर 484 (कांशी बनाम भारत संघ) जनहित में दायर किया गया था। उन रिट याचिकाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, हरियाणा राज्य द्वारा यह कहा गया था कि हरियाणा सरकार द्वारा अबादी गांव से 1 किमी की दूरी के भीतर किसी भी स्टोन क्रशर को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद, हालांकि, हरियाणा राज्य ने राजनीतिक दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं और यह न्यूनतम दूरी अब अंततः अबादी गांव से केवल 400 मीटर तक कम हो गई है। याचिकाकर्ताओं ने ये तथ्य 1998 के सीडब्ल्यूपी नंबर 14527 से लिए हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आर. ए. गोयल ने बोर्ड के सुपर-सेशन को चुनौती देते हुए दायर किया था। याचिकाकर्ता ने केवल 30 अक्टूबर, 1998 की अधिसूचना को रद्द करने की भी मांग की है। दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना को कोई चुनौती नहीं दी गई है । 1999 का संशोधित सीडब्ल्यूपी नंबर 12919 सुखदेव सिंह और राम सरन ने दायर किया है। ये**

---

[6] **जे.टी 1992 (4) एस.सी.46**

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 19)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

दोनों 1998 के सीडब्ल्यूपी नंबर 17168 में याचिकाकर्ता नंबर 1 और 2 हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे नौरंगपुर गांव के जमींदार हैं। वे किसान होने का दावा करते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उन्होंने गांव की आबादी से 400 मीटर की दूरी के भीतर चल रहे स्टोन क्रशरों से होने वाले प्रदूषण को समाप्त करने के लिए जनहित में यह रिट याचिका दायर की है। यह रिट याचिका 1998 के सीडब्ल्यूपी संख्या 17168 की लगभग शब्दश: प्रति है। तथापि, वे स्वीकार करते हैं कि दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना में ग्राम अबादी से अभिज्ञात क्षेत्र की सामान्य न्यूनतम दूरी ऐसे क्रशरों के लिए घटाकर 850 मीटर कर दी गई थी जो अधिसूचना की तारीख तक एक वर्ष से अधिक समय से लगातार कार्य कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं को संदेह हुआ क्योंकि उन्होंने गुड़गांव जिले के स्थानीय राजनेताओं द्वारा नौरंगपुर में कुछ बुखार की गतिविधि देखी। टीएन एंड वाई में स्टोन क्रशर के मालिक भी शामिल हो गए थे, जिन्हें ईश्वर सिंह के मामले (पूर्व) में इस अदालत द्वारा बंद करने का आदेश दिया गया था। प्रतिवादी के मालिक दीपक ग्रिट उद्योद (महिंदर सिंह) ने अपनी पत्नी और अपनी पत्नी के भाई के नाम पर दो एकड़ जमीन खरीदी है। उन्होंने "अनापत्ति प्रमाण पत्र" अनुलग्नक

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 20)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

पी -9, पी -10 और पी -11 जारी करने की चुनौती दी है जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 के पक्ष में जारी किए गए हैं। यह कहा गया है कि दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना की अनुसूची-। में जोड़े गए टिप्पणी 2 ने अधिसूचना के मुख्य प्रावधान को नष्ट कर दिया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि स्टोन क्रशर स्थापित करने के लिए न्यूनतम दूरी गांव अबादी से 1 किमी होगी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 1992 से यही स्थिति रही है, जिसे इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा बरकरार रखा गया है। फिर भी टिप्पणी 2 को दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना में अनुसूची । में जोड़ा गया। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 4 से 6 (अनुबंध पी -9 से पी -11) के पक्ष में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द करने का अनुरोध किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 और 7 को गांव अबादी से 1000 मीटर के भीतर नए स्टोन क्रशर स्थापित करने की अनुमति देने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। पुन: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना को चुनौती नहीं दी गई है।

(9) प्रतिवादियों द्वारा लिखित बयान दायर किए गए हैं। यह कहा गया है कि रिट याचिकाएं जनहित में दायर नहीं की गई हैं। वे स्टोन क्रशरों के कहने पर दायर किए गए हैं जो गांव अबादी से 850 मीटर की सीमा से अधिक लेकिन 1 किमी की सीमा के भीतर चल रहे हैं। प्रतिवादी सुखदेव सिंह और अन्य द्वारा दायर लिखित बयान 1998 के सीडब्ल्यूपी नंबर 17168 में यह कहा गया है कि रिट याचिका गांव की आबादी से 720 मीटर की दूरी पर काम करने वाली 11 फर्मों के कहने पर दायर की गई है। इन फर्मों के नाम हैं:

(1) M/s न्यू गीता स्टोन क्रशर कं, नौरंगपुर

(2) M/s राठी स्टोन क्रशर कं, नौरंगपुर

(3) M/s सुपर ब्लू ग्रिट उद्योग, नौरंगपुर

(4) M/s सुपर फास्ट ग्रिट उद्योग, नौरंगपुर

(5) M/s अरावली ग्रिट उद्योग, नौरंगपुर

(6) M/s डागर ग्रिट उद्योग, नौरंगपुर

(7) M/s न्यू यादव ग्रिट उद्योग, नौरंगपुर

(8) M/s न्यू मामन ग्रिट उद्योग, नौरंगपुर

(9) M/s धरम स्टोन क्रशिंग कंपनी, नौरंगपुर

(10) M/s पूजा स्टोन क्रशिंग कं, नौरंगपुर

(11) M/s शिवाजी स्टोन क्रशिंग कंपनी, नौरंगपुर

(10) प्रतिवादियों द्वारा दायर लिखित बयानों के अनुसार, ईश्वर सिंह के मामले (पूर्व) में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के मद्देनजर प्रतिवादी संख्या 4, 5 और 6 को पहचान

किए गए क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह भी कहा गया है कि यहां उठाए गए विवाद को 28 मई, 1996 को तय किए गए 1995 के सीडब्ल्यूपी संख्या 19010 में फातिया मोहम्मद के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले द्वारा पहले ही सुलझा लिया गया है। तदुपरांत, इस न्यायालय में कई रिट याचिकाएं भी दायर की गई थीं जिनका 23 दिसम्बर, 1999 को खंडपीठ द्वारा निपटान कर दिया गया था।

(11) हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है और पेपर बुक का अवलोकन किया है।

(12) श्री सिब्बल ने प्रस्तुत किया है कि अधिसूचना, अनुलग्नक पी-7 अस्पष्ट और मनमाना है। अनुलग्नक पी-7 अधिसूचना के संचालन से चिन्हित क्षेत्रों के भीतर स्टोन क्रशरों को बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 18 दिसंबर, 1997 की अधिसूचना में निर्धारित साइटिंग मापदंडों का उल्लंघन करते हुए "अनापत्ति प्रमाण पत्र", अनुलग्नक पी-9 से पी-11 अवैध रूप से प्रदान किए गए हैं। वरिष्ठ विद्वान वकील के अनुसार, 1 किमी की दूरी से विचलन शक्तियों के रंगीन प्रयोग के बराबर है। वरिष्ठ

अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रभावित पक्षों को सुने बिना "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी नहीं किया जा सकता था। श्री सिब्बल ने आगे तर्क दिया कि "अनापत्ति प्रमाण पत्र" पंजाब अनुसूचित सड़क और अनियंत्रित विकास के नियंत्रित क्षेत्र प्रतिबंध अधिनियम, 1963 का उल्लंघन करते हुए जारी किए गए हैं। नौरंगपुर की पूरी भूमि को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादियों की कार्रवाई स्पष्ट रूप से ईश्वर सिंह के मामले (पूर्व) में इस न्यायालय के फैसले को रद्द करने के उद्देश्य से है। इस निवेदन के समर्थन में, वरिष्ठ अधिवक्ता ने इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी और अन्य बनाम केरल राज्य[7] के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया ।

(13) श्री रणधीर सिंह, उप महाधिवक्ता, हरियाणा ने प्रस्तुत किया है कि स्टोन क्रशिंग इकाइयों के कारण होने वाले किसी भी उल्लंघन को नियंत्रण में लाने के लिए हरियाणा राज्य द्वारा कई अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इसलिए, पेराई क्षेत्रों को हरियाणा राज्य के माध्यम से अधिसूचित किया गया था । विद्वान वकील ने 9 जून, 1992 से हरियाणा

---

[7] **(1996) 7 एस.सी.सी. 637**

राज्य द्वारा जारी सभी अधिसूचनाओं का संकलन रिकॉर्ड पर रखा है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विशेषज्ञ निकायों द्वारा दी गई सलाह के आधार पर सिटिंग पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं। हरियाणा राज्य ने पंजाब राज्य का अनुसरण किया है जिसने स्टोन क्रशरों के बैठने और प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उचित मानदंड निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय की स्थापना की थी।

(14) श्री मत्तेवाल ने तर्क दिया है कि ईश्वर सिंह के मामले (पूर्व) में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर प्रतिवादियों को पहचान किए गए क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी संख्या 4, 5 और 6 को याचिकाकर्ताओं द्वारा जानबूझकर मुकदमे में घसीटा गया है। प्रतिवादियों से संबंधित मूल स्टोन क्रशर को इस न्यायालय के आदेशों द्वारा बंद कर दिया गया है। प्रतिवादियों द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में स्थापित किए गए नए स्टोन क्रशर किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं।

(15) श्री एम.एल.सरीन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने स्टोन क्रशरों के स्थान के संबंध में पूरे मुकदमे के इतिहास की ओर इशारा किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि "अनापत्ति प्रमाण पत्र" कानून के अनुसार जारी किए गए हैं। रिट याचिकाओं को सार्वजनिक हित के अलावा अन्य विचार से प्रेरित होने के रूप में खारिज किया जा सकता है। वह आगे तर्क देते हैं कि रिट याचिकाएं न्यायिक और रचनात्मक न्याय के सिद्धांतों पर सुनवाई योग्य नहीं हैं।

(16) हमने पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है। हमारा सुविचारित मत है कि रिट याचिकाएं पूरी तरह से गलत हैं। 18 दिसंबर, 1997 की अधिसूचना को 1998 के सीडब्ल्यूपी संख्या 17168 में भी चालान नहीं किया गया है। चुनौती केवल 30 अक्तूबर, 1998 की अधिसूचना को दी गई है जो 18 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना में संशोधन मात्र है। इस अधिसूचना द्वारा 18 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना द्वारा ग्राम आबादी से स्टोन क्रशर स्थापित करने के लिए न्यूनतम सीमा के रूप में 1 किलोमीटर की सीमा को घटाकर 400 मीटर कर दिया गया है। इस सीमा को

घटाकर 850 मीटर कर दिया गया था बशर्ते स्टोन क्रशर उपरोक्त अधिसूचना में निहित अन्य शर्तों को पूरा करते हों। दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना स्टोन क्रशरों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा राज्य द्वारा उठाए गए कदमों की परिणति है। एम.सी. मेहता आदि बनाम भारत संघ और अन्य[8] **के मामले में लैंड-मार्क फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को ताजी हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार है। उपर्युक्त निर्णय में कतिपय निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1996 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए 9 जून, 1992 को एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना में स्टोन क्रशरों के सिटिंग पैरामीटर तय किए गए थे। स्टोन क्रशरों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों को स्थापित करने के लिए कुछ निर्देश भी दिए गए थे। इस अधिसूचना में प्रावधान किया गया था कि गांव अबादी से 1 किलोमीटर के भीतर किसी भी स्टोन क्रशर इकाई को संचालित करने**

---

[8] **जे.टी. 1992 (4) एस.सी.46**

की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह भी प्रावधान किया गया था कि जो स्टोन क्रशर सिटिंग मापदंडों के भीतर नहीं आते हैं, उन्हें पेराई क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिनकी पहचान सरकार अधिसूचना जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर करेगी। अधिसूचना सं. एस.0.94/सी.ए. दिनांक 4 अगस्त, 1992 के परिपत्र सं 1986/एस5 और 7/92 के तहत हरियाणा सरकार ने स्टोन क्रशिंग जोनों की पहचान की। एक ही जोन में 25 स्टोन क्रशिंग इकाइयों को समायोजित किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया था कि जो क्रशर इकाइयां 9 जून, 1992 की अधिसूचना में निर्धारित पैरामीटर के भीतर नहीं आती हैं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा । गांव नौरंगपुर में चिन्हित क्षेत्रों में शामिल की गई कुछ भूमि अबादी गांव से 1 किमी की सीमा के भीतर पाई गई थी। अत:, दिनांक 4 अगस्त, 1992 की अधिसूचना को दिनांक 24 नवम्बर, 1992 की अधिसूचना द्वारा स्पष्ट किया गया। 1 किलोमीटर की सीमा के भीतर आने वाले इन क्षेत्रों को चिन्हित क्षेत्रों से बाहर रखा गया था। उपरोक्त पर भरोसा करते हुए, श्री सिब्बल ने जोरदार तर्क दिया है कि पहचान किए गए क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्र में होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो अबादी गांव के 1 किमी के भीतर है।

(17) हम पूर्वोक्त निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। जैसा कि पहले देखा गया है, हरियाणा सरकार द्वारा 4 अगस्त, 1992 को चिन्हित क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। प्रतिवादी संख्या 4, 5 और 6 और कुछ अन्य स्टोन क्रशिंग इकाइयों को चिन्हित क्षेत्रों में स्थानांतरित नहीं किया जा रहा था, हालांकि वे नौरंगपुर के गांव आबादी से 1 किलोमीटर, मीटर की सीमा के भीतर काम कर रहे थे। ईश्वर सिंह ने 1994 (1995-3) पीएलआर 613 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7418 दायर कर प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की निष्क्रियता को चुनौती दी और स्टोन क्रशरों को बंद करने और उन्हें चिन्हित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए निर्देश देने की मांग की। आर.पी. सेठी और एस.एस. सुधालकर, जेजे की इस न्यायालय की खंडपीठ ने 10 जुलाई, 1995 को रिट याचिका को निम्नानुसार अनुमति दी: -

"45. परिस्थितियों में इस याचिका को निम्नलिखित निर्देशों के साथ निपटाया जाता है।

(1) सभी निजी उत्तरदाता जो स्टोन क्रशरों के मालिक हैं, अपने स्टोन क्रशिंग व्यवसाय को बंद कर देंगे और उन्हें इस फैसले की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर सकारात्मक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में स्थानांतरित कर देंगे;

(2) राज्य सरकार चिन्हित जोनों में स्टोन क्रशरों को बंद करने और बंद करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी और केवल ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में लाइसेंस जारी करेगी जो स्टोन क्रशर के अपने व्यवसाय को चिन्हित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का निर्णय लेते हैं;

(3) कि वर्तमान स्थानों पर स्थित सभी स्टोन क्रशरों को एक महीने के बाद बंद माना जाएगा और उन्हें किसी भी आधार या बहाने से स्टोन क्रशर का व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(4) कि निजी उत्तरदाता क्रशर की स्थापना या किसी अन्य समान और सहायक उद्देश्य के लिए पहचान किए गए क्षेत्रों में स्थित अपनी भूमि को नहीं बेचेंगे;

(5) कि क्षेत्र के नागरिक मुआवजे के अनुदान के लिए अपने दावों को प्राथमिकता देने के लिए अधिकृत हैं; उन व्यक्तियों के लिए जो निजी उत्तरदाताओं के स्वामित्व और

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 31)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

प्रबंधन वाले स्टोन क्रशरों के कारण होने वाले प्रदूषण के कारण पीड़ित साबित हुए हैं। क्षेत्र के निवासियों को इस तरह के अधिकार को अधिसूचित करने के बाद दो महीने के भीतर ऐसे मुआवजे के दावों पर विचार किया जा सकता है। ऐसे दावों पर विचार किया जाएगा और तीन महीने के भीतर उनका निपटान किया जाएगा और यदि प्रतिवादी-स्टोन क्रशर में से कोई भी मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार पाया जाता है, तो उसके द्वारा दो महीने की अवधि के भीतर इसका भुगतान किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर स्टोन क्रशर व्यवसाय करने के लिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यह अपेक्षा की जाती है कि मुआवजे के लिए दावों को आमंत्रित करने वाली अधिसूचना जारी करते समय, प्रतिवादी-राज्य मुआवजे के लिए ऐसे दावों के मनोरंजन और अधिनिर्णय के लिए एक प्राधिकरण नियुक्त करेगा। यदि न्यायिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को ऐसे प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है तो इसकी सराहना की जाएगी;

(6) यद्यपि पंजाब राज्य हमारे समक्ष पक्षकार नहीं रहा है, फिर भी इस निर्णय की प्रति पंजाब राज्य के मुख्य सचिव को दी जाएगी ताकि ऊपर की गई हमारी टिप्पणियों के अनुसार उचित कदम उठाए जा सकें।

(7) इस निर्णय की एक प्रति हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को उनकी जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। अगर ऐसा चाहें"

(18) उपरोक्त निर्देशों के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 4, 5 और 6 से संबंधित क्रशरों को बंद करने का आदेश दिया गया था। ईश्वर सिंह के मामले में उपरोक्त निर्णय इस न्यायालय द्वारा 10 जुलाई, 1995 को दिया गया था। छह महीने के भीतर, 29 नवंबर, 1995 को, प्रतिवादी संख्या 4, 5 और 6 ने 15 अन्य स्टोन क्रशिंग इकाइयों के साथ 1995 (1996-1) पीएलआर 609 के सीडब्ल्यूपी नंबर 17459 के माध्यम से फिर से अदालत का रुख किया। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता गुड़गांव जिले के नौरंगपुर और मानेसर गांव में 1981-82 से स्टोन क्रशर चला रहे हैं। इस न्यायालय द्वारा 10 जुलाई,

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 33)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

1995 को निर्णयित सीडब्ल्यूपी संख्या 7418/1994 में दिए गए फैसले के मद्देनजर, उन्हें 9 अगस्त, 1995 को बंद करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने 9 जून, 1992, 4 अगस्त, 1992, 24 नवंबर, 1992, 30 नवंबर, 1992 और 11 दिसंबर, 1992 की अधिसूचनाओं को चुनौती दी। यह दलील दी गई थी कि उपरोक्त अधिसूचनाओं की वैधता को ईश्वर सिंह के मामले (पूर्व) में चुनौती नहीं दी गई थी। दावा है कि याचिकाकर्ताओं के स्टोन क्रशर अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित हैं। इसलिए, नौरंगपुर गांव के निवासियों के लिए किसी भी प्रदूषण से प्राकृतिक सुरक्षा है जो स्टोन क्रशर के कारण हो सकता है। यह भी दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं के स्टोन क्रशरों की दूरी 500 मीटर से अधिक है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह दूरी एक उचित दूरी थी, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारतीय नोशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा किए गए एक अध्ययन द्वारा भी समर्थित किया गया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, प्रतिनिधि में बैठने के मापदंडों की अनुचितता इस तथ्य से साबित हुई कि अधिकांश स्टोन क्रशिंग क्षेत्र हरियाणा सरकार द्वारा स्वयं दिनांक 4 अगस्त, 1992 की अधिसूचना में स्थापित की गई है जो दिनांक 9 जून, 1992 और 18

दिसम्बर, 1992 की अधिसूचना द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करती है। यह दलील दी गई थी कि उपरोक्त दो अधिसूचनाओं द्वारा मापदंडों का निर्धारण मनमाना है और स्टोन क्रशर के व्यवसाय को जारी रखने के लिए याचिकाकर्ताओं के अधिकारों पर अनुचित प्रतिबंध लगाने के समान है। यह भी दलील दी गई कि चिन्हित क्षेत्रों में स्थित स्टोन क्रशर उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित मानदंडों से अछूते नहीं हैं। उपर्युक्त कथनों के आधार पर, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रार्थना की गई थी कि राष्ट्रीय स्तर के दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले स्टोन क्रशरों को ईश्वर सिंह के मामले (सुप्रा) में दिए गए 10 जुलाई, 1995 के निर्णय में निहित निर्देशों को संशोधित करके उनके संबंधित स्थानों पर कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। रिट याचिका को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया गया था -

"6. ऊपर दिए गए तथ्य स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं कि वर्तमान रिट याचिका न्यायिक सिद्धांत द्वारा निषिद्ध है। उक्त सिद्धांत को समानता, न्याय और अच्छे विवेक पर स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य समान पक्षों के बीच हर बाद के मुकदमे में तय किए गए बिंदुओं के अनुसार निर्णयों की निर्णायकता देना है। न्याय का

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 35)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

सिद्धांत आंशिक रूप से रोमन न्यायशास्त्र के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि हितों को सार्वजनिक करता है और यह राज्य से संबंधित है कि कानून के मुकदमों का अंत होना चाहिए और आंशिक रूप से इस नियम पर कि किसी भी व्यक्ति को एक ही कारण पर दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के नियम के अभाव में, मुकदमेबाजी की बहुलता की पूरी संभावना है, इसका कोई अंत नहीं है और व्यक्तियों के अधिकार कानून की आड़ में किए गए अंतहीन भ्रम और महान अन्याय में शामिल होंगे। न्याय के सिद्धांत का उद्देश्य न केवल एक नए निर्णय को रोकना है, बल्कि एक नई जांच को रोकना भी है ताकि एक ही व्यक्ति को कानून के एक ही प्रश्न पर विभिन्न कार्यवाहियों में बार-बार परेशान न किया जा सके।

*** *** *** *** ***

13. अन्यथा भी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्टोन क्रशर पर किए गए अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की दलीलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ईश्वर सिंह के मामले (पूर्व) में इस अदालत ने विशेषज्ञों की रिपोर्ट का हवाला दिया था

और तथ्यों पर पाया था कि उचित निर्देश जारी करने की आवश्यकता थी। याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील की निर्भरता फिर से गलत है क्योंकि विशेषज्ञों ने कहीं भी यह राय नहीं दी है कि स्टोन क्रशर आबादी वाले क्षेत्रों के 500 मीटर के भीतर स्थित होना चाहिए। हमने उपरोक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया है और पाया है कि इस न्यायालय ने पहले ही एक अच्छी तरह से परिभाषित और अच्छी तरह से तर्कसंगत दूरी पर सीमांकित क्षेत्रों को प्रदान करने में प्रतिवादी/हरियाणा राज्य की कार्रवाई को बरकरार रखते हुए पर्याप्त सावधानी बरती थी। इसी तरह, अनुबंध पी/3 पर विद्वान वकील की निर्भरता फिर से लंबित मुकदमे का विषय है और दूसरी बात, जिस अधिसूचना पर भरोसा किया गया है, वह पंजाब राज्य द्वारा की गई एक अंतरिम व्यवस्था है, अनुबंध पी/4 भी किसी वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित नहीं है और केवल इस तथ्य का उल्लेख करना कि निकटतम आवास से पत्थर क्रशिंग इकाइयों की दूरी 205 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए" याचिकाकर्ताओं की मदद नहीं करता है। जैसा कि उसी अनुलग्नक में, यह उल्लेख किया गया है, कि मंदिरों, स्कूलों, राजमार्गों और नदियों से न्यूनतम दूरी 2 किलोमीटर होनी चाहिए।

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 37)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

14. मेरिट के आधार पर भी रिट याचिका गलत है, ईश्वर सिंह के मामले (पूर्व) में इस न्यायालय के पहले के फैसले को निराश करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण रूप से दायर की गई है और इसका उद्देश्य गुड़गांव के पास और भारत की राजधानी के आसपास के लोगों को प्रदूषित करने की पीड़ा को बढ़ाना है। याचिकाकर्ताओं के किसी भी मौलिक या कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है क्योंकि उन्हें भूमि की उपलब्धता के अधीन अपने स्टोन क्रशर को सीमांकित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता दी गई है। निर्दिष्ट स्थान पर पेशे को जारी रखने की अनुमति देना, जो सामान्य रूप से लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करता है, को भारत के संविधान के भाग III में निहित किसी भी मौलिक अधिकार के बराबर नहीं माना जा सकता है। रिट याचिका पूरी तरह से गलत समझी जाने के कारण तत्काल खारिज की जाती है।"

(19) उपर्युक्त टिप्पणियों के अवलोकन से पता चलता है कि खंडपीठ ने लिमाइन में रिट याचिका को खारिज कर दिया। (1) यह कहा गया है कि दूसरी रिट याचिका न्यायिक न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत पर रोक लगाई जाती है- (2) विशेषज्ञ अध्ययन रिपोर्ट में

भी कहीं यह राय नहीं दी गई है कि स्टोन क्रशर बसे हुए क्षेत्र के 500 मीटर के भीतर स्थित हो सकते हैं; (3) याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है क्योंकि उन्हें भूमि की उपलब्धता के अधीन अपने स्वयं के स्टोन क्रशर को सीमांकित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का अवसर दिया गया है। इसलिए, चिह्नित क्षेत्रों के बाहर भी 1 किलोमीटर के भीतर संचालन जारी रखने के स्टोन क्रशरों के दावे को विशेष रूप से नकारात्मक कर दिया गया है। हमें सूचित किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने ईश्वर सिंह के मामले और दीपक ग्रिट उद्योग के मामले में उपरोक्त निर्णयों के खिलाफ 1996 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 5282 और 5283 दायर की थी। उपरोक्त एसएलपी से उत्पन्न 1996 की सिविल अपील संख्या 14175-1476 को सर्वोच्च न्यायालय ने 18 जुलाई, 200 को निम्नलिखित आदेशों के साथ खारिज कर दिया था: -

"अपीलकर्ता के वरिष्ठ विद्वान वकील श्री सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि स्टोन क्रशरों के स्थान से संबंधित अधिसूचनाएं जो वर्तमान सिविल अपीलों का विषय हैं, उन्हें

हरियाणा राज्य द्वारा जारी नई अधिसूचनाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इसे देखते हुए अपीलें निरर्थक हो गई हैं।

उन्होंने आगे कहा कि सीडब्ल्यूपी संख्या 17168/98 और 12919/98 में नई अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई है, क्योंकि स्टोन क्रशर से संबंधित जनहित याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है और अधिसूचना के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता और इसी तरह के अन्य स्टोन क्रशर बहुत गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। हम आशा करते हैं और आशा करते हैं कि उक्त रिट याचिकाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा यथाशीघ्र विचार किया जाएगा और उनका निपटान किया जाएगा। इन अपीलों को खारिज किया जाता है क्योंकि इन्हें वापस ले लिया गया है।

(20) अपीलों को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया है। इसलिए, उपर्युक्त निर्णय अंतिम और बाध्यकारी हैं।

(21) तथापि, हम श्री सिब्बल की इस दलील से सहमत होने में असमर्थ हैं कि गांव की आबादी से 1 किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी स्टोन क्रशर को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ईश्वर सिंह के मामले (पूर्व) और दीपक ग्रिट उद्योग के मामले (पूर्व) में इस अदालत द्वारा दिए गए फैसले के बाद से पुल के नीचे से काफी पानी गुज़र चुका है। 6 जून, 1992 से, 15 मई, 1992 को एमसी मेहता के मामले (पूर्व) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा के तुरंत बाद, हरियाणा सरकार ने चिन्हित क्षेत्रों की स्थापना के लिए काम शुरू किया। ग्राम अबादी से 1 किलोमीटर की सीमा के भीतर सभी क्रशरों को अधिसूचना जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर सरकार द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। 4 अगस्त, 1992 को चिन्हित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। पहचान किए गए क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की अवधि 8 दिसंबर, 1992 तक बढ़ा दी गई थी। जब सरकार ने पाया कि 4 अगस्त, 1992 की अधिसूचना की अनुसूची में दिए गए कतिपय क्षेत्र वास्तव में गांव अबादी से 1 किलोमीटर की सीमा के भीतर स्थित हैं, तो 24 नवंबर, 1992 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें ऐसे क्षेत्रों को अनुसूची से बाहर कर दिया गया। उस समय तक, श्री

सिब्बल का यह कहना सही है कि हरियाणा सरकार गांव की आबादी से 1 किलोमीटर की सीमा के बाहर के क्षेत्र में स्टोन क्रशिंग जोन की पहचान करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन दिनांक 9 जून, 1992 की अधिसूचना को दिनांक 18 दिसम्बर, 1992 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था जिसमें निम्नानुसार प्रावधान किया गया था

-

"हरियाणा सरकार के पर्यावरण विभाग में, अधिसूचना संख्या एसओ 81/सीए 1986/एस.5 और 7/92, दिनांक 9 जून, 1992 को पैरा 5 में, खंड (ii) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे: -

(ii) कि कोई भी स्टोन क्रशर इकाई उन इकाइयों को छोड़कर जो चिन्हित क्षेत्र में हैं या जिन्हें हरियाणा सरकार के पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या एस.ओ. के अनुसरण में मौजूदा मापदंडों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है। 81/सी.ए. 1986/एस.5 एवं 7/95, दिनांक 9 जून

1992, को अब से निम्नलिखित की सीमा के भीतर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी:-

**** **** **** ****

(22) उस समय से, चिन्हित क्रशिंग जोनों के भीतर स्टोन क्रशरों के लिए निर्धारित सीमाओं के पैरामीटर पहचान किए गए क्षेत्रों के बाहर स्टोन क्रशरों के लिए निर्धारित मापदंडों के समान नहीं थे। इन सभी अधिसूचनाओं को प्रतिवादी संख्या 4 और कुछ अन्य लोगों ने 1995 के सीडब्ल्यूपी संख्या 17459 में चुनौती दी थी। जैसा कि ऊपर देखा गया है, उसी को लिमिन में खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त दो निर्णयों को 1996 की एसएलपी संख्या 5282-83 में चुनौती दी गई थी और एसएलपी को 1996 की सिविल अपील संख्या 14175-14176 के रूप में क्रमांकित किया गया था। सिविल अपीलों को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था।

(23) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों के लिए अब यह तर्क देना व्यर्थ होगा कि वर्तमान रिट याचिकाओं में उपर्युक्त प्रावधान की वैधता या संवैधानिकता को फिर से लागू किया जा सकता है। 1995 के सीडब्ल्यूपी संख्या 17459 में दिए गए फैसले में डिवीजन बेंच द्वारा बताए गए कारणों के लिए हमारी राय में, वर्तमान रिट याचिकाओं को न्यायिक रचनात्मक पुनर्निर्णय के सिद्धांतों पर रोक दिया जाता है। याचिकाकर्ताओं ने अब 18 दिसंबर, 1997 की अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I के नोट 2 को चुनौती दी है, जिसमें यह निम्नानुसार प्रदान किया गया है -

"2. पहले से ही अधिसूचित अनुमोदित क्रशर जोन उपरोक्त उल्लिखित न्यूनतम दूरी मानदंडों से प्रभावित नहीं होगा क्योंकि उपरोक्त मानदंडों के साथ संयोजन में स्टोन क्रशिंग इकाइयों के समूह की व्यवहार्यता संभव नहीं है। उपर्युक्त सिटिंग मानदंड केवल चिन्हित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली नई पेराई इकाइयों पर लागू होंगे।

(24) श्री सिब्बल ने जोरदार तर्क दिया है कि यह प्रावधान उस मुख्य प्रावधान को निरस्त करता है जिसमें यह प्रावधान था कि स्टोन क्रशर स्थापित करने के लिए निकटतम गांव आबादी से आवश्यक न्यूनतम दूरी 1 किलोमीटर होगी। हमने विद्वान वरिष्ठ वकील की उपरोक्त दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है। ईश्वर सिंह के मामले (पूर्व) में भी इस अदालत ने स्टोन क्रशरों को चिन्हित क्रशर जोन में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। दीपक ग्रिट उद्योग के मामले में याचिकाकर्ताओं के मामले के अनुसार, ये चिह्नित क्षेत्र विभिन्न गांवों की आबादी से 1 किमी की दूरी सीमा के भीतर चल रहे थे। अन्यथा भी यह निर्देश आवश्यक नहीं होता, यदि अबादी गांव से 1 किमी की दूरी की सीमा चिन्हित क्षेत्रों पर भी लागू होती। विभिन्न अधिसूचनाओं के अनुसार, किसी भी स्टोन क्रशर को निर्धारित दूरी सीमा से परे सेट किया जा सकता है, बशर्ते वे प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निर्धारित अन्य शर्तों का पालन करें। वर्तमान रिट याचिकाओं में उठाए जाने वाले पूरे विवाद अब असंगत नहीं हैं।

(25) मुकद्दमों की उपरोक्त लड़ाई पूरी होने के बाद, बरकत के बेटे फातिया मोहम्मद और छह अन्य ने 1996 की सीडब्ल्यूपी संख्या 19010 दायर की थी, जिसका निर्णय 28 मई, 1996 को एनके कपूर और पीके जैन, जेजे की खंडपीठ द्वारा किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने 7 मार्च, 1995 को पंचकुला जिले के कालका तहसील के गांव कोटियां अंबवाला की ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती भूमि को कुछ स्टोन क्रशिंग इकाइयों को पट्टे पर देने के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें याचिकाकर्ताओं का मामला था कि 7 मई, 1995 के संकल्प के आधार पर विभिन्न स्टोन क्रशिंग इकाइयों को पट्टे पर दी गई गांव की शामलात भूमि 18 दिसंबर, 1992 की अधिसूचना का उल्लंघन है। जैसा कि 18 दिसम्बर, 1992 की अधिसूचना में पहले देखा गया था, यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी स्टोन क्रशिंग यूनिट, सिवाय उन इकाइयों के जो पहचान किए गए क्षेत्र में हैं या जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है, को ग्राम आबादी से 1 किमी की सीमा के भीतर संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्टोन क्रशर को जो जमीन लीज पर देने का प्रस्ताव था, वह लिंक रोड के 300 मीटर के

दायरे में और गांव की आबादी से 1 किलोमीटर के दायरे में थी। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, खंडपीठ ने निम्नानुसार टिप्पणी की -

पीठ ने कहा, "हमने पक्षों के वकीलों को सुना और संबंधित वकील द्वारा संदर्भित विभिन्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। स्टोन क्रशर इकाइयों को एक चिन्हित/सीमांकित स्टोन क्रशिंग क्षेत्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया वास्तव में एम.सी.मेहता के मामले (पूर्व) में शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए विशिष्ट निर्देशों के मद्देनजर हरियाणा राज्य द्वारा शुरू की गई है। अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए अधिकारियों को मौजूदा इकाइयों को पेराई क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला एक निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त उपाय शुरू करने का निर्देश दिया और अधिकारियों को आगे निर्देश दिया कि वे उक्त क्षेत्र में अपने आदेश से प्रभावित सभी स्टोन क्रशरों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराएं। यह भी निर्देश दिया गया था कि चूंकि क्रशिंग इकाइयां वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिक उपकरण स्थापित करें। हालांकि, यह निर्देश केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के भीतर स्थित स्टोन

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 47)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

क्रशिंग इकाइयों के साथ-साथ हरियाणा के सूरजकुंड, लखनपुर, लक्कड़पुर, कट्टन, गुरुकुल, बड़खल, पल्लीनंगला, बरईखाजा, अनंगपुर और बालाबगढ़ क्षेत्रों के संबंध में दिया गया था। इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 1992 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें स्टोन क्रशरों के लिए क्षेत्रों की पहचान की गई थी। दिनांक 4 अगस्त, 1992 की अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार, भूमि के अनुलग्नक आर-3/1 ब्यौरे, जिसका ब्यौरा पहले ही निर्णय के पूर्व भाग में दिया जा चुका है, बुर्ज कोटियां गांव में स्थित है, कुल मिलाकर 105 एकड़ में, स्टोन क्रशिंग जोन के रूप में निर्धारित/चिन्हित किया गया है। इस प्रकार, दिनांक 18 दिसंबर, 1992 की अधिसूचना अनुलग्नक पी-1 के माध्यम से, याचिकाकर्ता के दावे का आधार जब निम्नलिखित के प्रकाश में पढ़ा जाता है:

आदेश में कहा गया है, 'हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग की 9 जून, 1992 की अधिसूचना के अनुसरण में बैठने के मापदंडों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित एक इकाई को छोड़कर किसी भी स्टोन क्रशर

इकाई को निम्नलिखित की सीमा के भीतर संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

-

राष्ट्रीय राजमार्ग आदि का 1-1/2 किलोमीटर का हिस्सा।

इसलिए यह निषेध कि राष्ट्रीय राजमार्ग के 1 1/2 किलोमीटर के भीतर या राज्य राजमार्ग से एक किलोमीटर या शहर की आबादी से 1 1/2 किलोमीटर या गांव की आबादी आदि से एक किलोमीटर के भीतर स्टोन क्रशिंग यूनिट की स्थापना उस क्षेत्र पर लागू नहीं होती है जिसे स्टोन क्रशिंग क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। इसलिए, हम याचिकाकर्ताओं की इस सटीक आपत्ति को किसी भी आधार से रहित पाते हैं।

(26) उपरोक्त टिप्पणियां करने के बाद, डिवीजन बेंच ने कहा कि ग्राम पंचायत के संकल्प की वैधता या अन्यथा को ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत अधिकारियों के समक्ष चुनौती दी जा सकती है और स्टोन क्रशर के पक्ष में प्रस्तावित पट्टे को पंजाब विलेज कॉमन लैंड (विनियमन) अधिनियम 1961 के तहत कलेक्टर के समक्ष चुनौती दी

जा सकती है। इस अवसर को पार्टियों द्वारा मुकद्दमेबाजी का एक और दौर शुरु करने के लिए ज़ब्त कर लिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने कलेक्टर के समक्ष प्रस्तावित पट्टे को चुनौती दी थी। तथापि, कलेक्टर के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान मुस्लिम पट्टी के मालिकों के लिए निर्धारित भूमि के कुछ भाग को शामिल करके स्टोन क्रशिंग जोन के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए दिनांक 11 जुलाई, 1997 को अधिसूचना जारी की गई थी। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर 1996 की सीडब्ल्यूपी संख्या 12178 और 1996 की 12547 दायर करके 7 नवंबर, 1997 और 18 दिसंबर, 1997 की अधिसूचनाओं को चुनौती दी। उनका तर्क था कि मुस्लिम गुज्जर पट्टी के मालिकों के लिए निर्धारित भूमि को शामिल करना दुर्भावना और मनमानी से दूषित है क्योंकि इस कवायद का पूरा उद्देश्य मुस्लिम गुर्जरों को भूमि पर उनके अधिकारों से वंचित करना है। इसमें प्रतिवादियों द्वारा दायर लिखित बयानों में, यह कहा गया था कि एमसी मेहता के मामले (पूर्व) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, बुराज कोटिया के पूरे गांव की पहचान स्टोन क्रशिंग क्षेत्र के लिए की गई थी। किसी भी मामले में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि फातिया मोहम्मद

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 50)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

के मामले (पूर्व) में इस न्यायालय के फैसले से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामला समाप्त हो गया है। इन रिट याचिकाओं पर इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा निर्णय लिया गया था जिसमें जीएस सिंघवी और मेहताब एस गिल, जेजे शामिल थे। 23 दिसंबर, 1999 को। डिवीज़न बेंच ने वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों सहित पूरे मामले की जांच की। दोनों अधिनियमों की विस्तार से जांच करने के बाद, खंडपीठ ने निम्नानुसार निर्णय दिया -

"हरियाणा के मामले

श्री एच.एल. सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री रामेश्वर शर्मा, अधिवक्ता सी.डब्ल्यू.पी. में याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए। 1996 के नंबर 12178 और 12547 में तर्क दिया गया कि गांव बुर्ज कोटियान और कोटियान में स्टोन क्रशर जोन स्थापित करने के राज्य सरकार के निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि स्टोन क्रशर के संचालन से होने वाला प्रदूषण निवासियों के

स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। डिप्टी एडवोकेट जनरल ने एमसी मेहता के मामले (सुप्रा) और ईश्वर सिंह के मामले (सुप्रा) में दिए गए निर्देशों पर भरोसा किया और तर्क दिया कि 11 जुलाई, 1997 की अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने वाला घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्टोन क्रशर जोन राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्टोन क्रशर से होने वाले प्रदूषण के खतरे को रोकने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। श्री जसवंत सिंह ने कहा कि स्टोन क्रशरों द्वारा स्टोन क्रशिंग जोन में स्थापित किए जाने वाले आवश्यक उपायों से वायु प्रदूषण के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी और क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य को किसी भी चोट की कोई संभावना नहीं है। गैर-आधिकारिक प्रतिवादियों के वकील ने फातिया मोहम्मद के मामले (सुप्रा) में खंडपीठ के फैसले पर भरोसा किया और तर्क दिया कि याचिकाकर्ता 1 जुलाई, 1997 की अधिसूचना को चुनौती नहीं दे सकते क्योंकि अन्य निवासियों द्वारा इसी तरह की चुनौती को नकारात्मक कर दिया गया है। हमारी राय में, गैर-आधिकारिक उत्तरदाताओं के लिए विद्वान उप महाधिवक्ता और वकील की प्रस्तुति स्वीकृति के योग्य है।

(27) उपर्युक्त टिप्पणियों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि फातिया मोहम्मद के मामले (पूर्व) में निर्णय को विशेष रूप से बाद की खंडपीठ द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के संबंध में याचिकाकर्ता के तर्क को भी नकारात्मक कर दिया गया है। खण्डपीठ का निष्कर्ष निम्नलिखित शब्दों में है -

"उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर हमें याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं मिलता है, क्योंकि राज्य सरकार ने कठोर शर्तें निर्धारित की हैं जिन्हें प्रदूषण के नियंत्रण के लिए स्टोन क्रशरों द्वारा अनुपालन करना आवश्यक है।

(28) यह भी ध्यान देने योग्य है कि उपर्युक्त निर्णय में, पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों से संबंधित कई याचिकाओं का निपटान किया गया था। 1995 की सीडब्ल्यूपी संख्या 16105 सुरेश थापर द्वारा दायर एक शिकायत पर जनहित याचिका के रूप में इस न्यायालय में दर्ज की गई थी। उन्होंने शिकायत की थी कि जीटी रोड, जिला लुधियाना,

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 53)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

पंजाब में चल रही स्टोन क्रशर इकाइयां वायु प्रदूषण का कारण बन रही हैं। इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में पंजाब राज्य द्वारा दिनांक 15 मई, 1996 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना में, यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी स्टोन क्रशर को गांव की आबादी से 1 किमी के भीतर संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अधिसूचना के परिणामस्वरूप, 142 स्टोन क्रशर इकाइयों में से 46 जो अधिकतर राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित हैं, को दिनांक 15 नवम्बर, 1996 के आदेश द्वारा बंद करने का निदेश दिया गया था। स्टोन क्रशर इकाइयों के बंद होने को 1996 के सीडब्ल्यूपी संख्या 17654, 17647, 16520, 16853 और 16832 में चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 1996 के आदेश द्वारा स्टोन क्रशरों को बैठाने के लिए एक मानदंड निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी। इस समिति की रिपोर्ट पर मंत्रिपरिषद द्वारा विचार किया गया और उसे स्वीकार कर लिया गया। इसकी बैठक 25 फरवरी, 1998 को आयोजित की गई थी। उपर्युक्त बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में दिनांक 17 मार्च, 1998 की अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना

में, नए स्टोन क्रशरों की स्थापना के लिए एक मानदंड निर्धारित किया गया था। यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी स्टोन क्रशर इकाइयों को निम्नलिखित मापदंडों के भीतर संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी -

"A (i) मैदानी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अनुसूचित सड़कों पर 500 मीटर और उप-पर्वतीय क्षेत्रों में 250 मीटर।

××× ××× ××× ×××

(vi) ग्राम फिरनी/लाल लकीर/अनुमोदित आवासीय कॉलोनी का 500 मीटर।

(vii) 300 मीटर के ऐतिहासिक स्थलों/शैक्षिक संस्थानों/प्राणि उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्य स्मारकों।

(viii) 100 मीटर संपर्क सड़कें और अन्य जिला सड़कें।

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 55)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

(29) डिवीजन बेंच ने हरियाणा की दो रिट याचिकाओं के साथ पूरे मामले पर विचार किया, जो 1996 की सीडब्ल्यूपी संख्या 12178 और 1996 की सीडब्ल्यूपी संख्या 12547 हैं। दिनांक 23 दिसम्बर, 1999 के एक विस्तृत निर्णय द्वारा सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। पंजाब के मामलों में की गई प्रस्तुतियों के संबंध में, खंडपीठ ने निम्नानुसार टिप्पणी की -

पीठ ने कहा, "हमने संबंधित दलीलों पर गंभीरता से विचार किया है और राज्य सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। यह सच है कि कुछ स्टोन क्रशर 1981 और 1986 के अधिनियमों के अधिनियमों के अधिनियमन से पहले स्थापित किए गए थे और इसके गठन के बाद, पंजाब बोर्ड ने 1981 अधिनियम की धारा 21 के तहत सहमति दी थी। हालांकि, यह अपने आप में एमसी मेहता के मामले (पूर्व) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा और ईश्वर सिंह के मामले (सुप्रा) और सुदेश थापर के मामले (पूर्व) में इस अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार और पंजाब बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों को अमान्य करने को सही नहीं ठहरा सकता है। विशेषज्ञ समिति की

रिपोर्ट और अधिसूचनाएं ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित स्टोन क्रशिंग इकाइयों से होने वाले प्रदूषण की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। स्टोन क्रशिंग यूनिटों द्वारा अपनाए जाने वाले अपेक्षित उपायों का उद्देश्य स्टोन क्रशरों के संचालन से होने वाले प्रदूषण और इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर जनता के स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करना है। इसलिए, इसे संविधान के अनुच्छेद 19 (एल) (जी) और 21 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को नए प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है या वैकल्पिक स्थलों पर स्थानांतरित करना पड़ सकता है।

हालांकि आधिकारिक प्रतिवादियों की ओर से दायर लिखित बयानों में स्टोन क्रशरों के लिए अलग जोन स्थापित नहीं करने के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इस आधार पर अधिसूचनाएं रद्द नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि मौजूदा स्टोन

क्रशरों के लिए निर्धारित संशोधित पैरामीटर स्टोन क्रशरों के संचालन के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रतीत होते हैं। तथापि, साथ ही, हम महसूस करते हैं कि राज्य सरकार को स्टोन क्रशरों के लिए पृथक क्षेत्रों की पहचान करने के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के वकील की यह दलील कि सरकार को मौजूदा स्टोन क्रशरों के लिए संशोधित मापदंड निर्धारित नहीं करने चाहिए थे क्योंकि वायु प्रदूषण की कोई रिपोर्ट नहीं थी, खारिज किए जाने योग्य हैं क्योंकि राज्य सरकार ने एमसी मेहता के मामले (पूर्व) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा और ईश्वर सिंह के मामले (पूर्व) और सुदेश थापर के मामले (पूर्व) में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के अलावा कुछ नहीं किया है। इसके अलावा, पंजाब बोर्ड द्वारा पारित आदेशों और उसकी ओर से दायर लिखित बयान में निहित कथनों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित कुछ स्टोन क्रशिंग इकाइयां 1981 अधिनियम की धारा 21 के तहत सहमति प्राप्त किए बिना चल रही थीं और उनमें से अधिकांश, जिन्होंने सहमति प्राप्त की थी, वे पंजाब बोर्ड द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन कर के काम कर

रहे थे। इसलिए याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला नहीं है कि वे स्टोन क्रशर के संचालन से प्रदूषण और परिणामी स्वास्थ्य खतरों की जांच के लिए अतिरिक्त उपाय करने के लिए उन्हें दिए गए निर्देशों पर सवाल उठा सकें।

(30) खंडपीठ की उपर्युक्त टिप्पणियों से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि वर्तमान रिट याचिकाओं में उठाए गए पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध निष्कर्ष निकाला गया है। इसलिए, हमें श्री सिब्बल द्वारा दी गई दलील में कोई दम नजर नहीं आता।

(31) अपील की विशेष अनुमति (सिविल) प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए याचिकाएं। पर्यावरण पर प्रभाव कुछ हद तक कम हो गया है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ इस न्यायालय ने अबादी गांव से 500 मीटर या उससे कम की सीमा निर्धारित करने वाली अधिसूचनाओं को बरकरार रखा है। दिनांक 30 अक्तूबर, 1998 की अधिसूचना को विशेष रूप से 1999 की सीडब्ल्यूपी संख्या 15438 (स्वर्गीय श्री मुंशी के पुत्र इब्राहिम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य)

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 59)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

में 19 सितंबर, 2000 को तय किया गया है। उस मामले में, यह दावा किया गया था कि प्रतिवादी नंबर 5 मैसर्स मंगला ग्रिट ग्राम उद्योग समिति ने उपजाऊ भूमि पर एक स्टोन क्रशर स्थापित किया था। इसके 1 किमी के दायरे में कोई पथरीला पहाड़/पहाड़ी नहीं है। अन्य प्रदूषकों के अलावा स्टोन क्रशर द्वारा उत्सर्जित धूल से भूमि पूरी तरह से अनुपजाऊ और बेकार हो जाने की संभावना है, जिसे विशेष रूप से देश और उसके नागरिकों के लिए कृषि के मुख्य आधार होने के कारण अनुमति नहीं दी जा सकती है। स्टोन क्रशर आबादी गांव घिरा के 500 मीटर की दूरी पर स्थित है और इस प्रकार यह 18 दिसंबर, 1992 की अधिसूचना के खंड (ii) (जी) का सीधा उल्लंघन है। यह ग्राम पंचायत की भूमि पर स्थापित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लगभग 800 किमी की दूरी के भीतर भी बताया गया था। यह भी अनुरोध किया गया था कि 18 दिसंबर, 1997 की अधिसूचना में कहा गया है कि निकटतम अबादी गांव से 1 किमी की दूरी के भीतर कोई स्टोन क्रशर स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह भी दलील दी गई कि स्टोन क्रशर की स्थापना 1997 की अधिसूचना के खंड एन अनुसूची II के विपरीत की गई है, जिसने 18 दिसंबर, 1997 से कम से कम एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए परिचालन

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 60)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

में रहने वाले स्टोन क्रशरों को छूट दी थी। इस दूरी को पहले 800 मीटर तक कम किया गया और फिर 30 अक्टूबर, 1998 की अधिसूचना के माध्यम से 400 मीटर तक कम कर दिया गया। पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, खंडपीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया है:

"... उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए दिनांक 30 अक्तूबर, 1998 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें 18 दिसम्बर, 1997 की पूर्व अधिसूचना में कुछ हद तक संशोधन करते हुए अनुलग्नक पी18 की प्रति दी गई थी और संशोधन ो ं में से एक निम्नलिखित शर्तों में था -

"अनुच्छेद एन के लिए, निम्नलिखित पारस शाह को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

-

इस अधिसूचना के जारी होने से पहले कम-से-कम एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए प्रचालन में रही स्टोन क्रशिंग इकाइयों के मामले में 'एन' के मामले में केवल लाई डोरा

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 61)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

गांव (फिरनी जहां कोई लाल डोरा नहीं है) से दूरी के संबंध में मानदंड उल्लंघन के संबंध में, संरचनात्मक रूप से सुरक्षित 50 मीटर लंबी और 16 फीट ऊंची पवन तोड़ने वाली दीवार प्रदान करनी होगी। हालांकि, किसी भी गांव लाल डोरा (फिरनी जहां कोई गांव लाल डोरा नहीं है) के 400 मीटर या उससे कम के दायरे में आने वाले स्टोन क्रशरों के संबंध में विंड ब्रेकिंग वॉल की सुरक्षा के साथ भी कोई छूट नहीं दी जाएगी। अपीलीय आदेश के अंतिम भाग के अवलोकन से, यह देखा गया है कि स्टोन क्रशिंग यूनिट के मालिकों को प्रदूषण के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए थे। ये निर्देश दिनांक 30 अक्तूबर, 1998 की अधिसूचना के प्रतिस्थापित पैरा एनटी के अनुरूप हैं जिसे पहले ही ऊपर पुन प्रस्तुत किया जा चुका है। कथनों के अनुसार, प्रतिवादी स्टोन क्रशर ने ये सुरक्षा उपाय प्रदान किए हैं। अब, यह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर निर्भर करता है कि वह समय-समय पर यह देखे कि स्टोन क्रशर द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले प्रदूषणकारी तत्व निर्धारित सीमा ओं के भीतर हैं या नहीं। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन अनुमेय सीमा से अधिक है, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वाभाविक रूप से प्रतिवादी स्टोन क्रशिंग

यूनिट को उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश देगा और यदि प्रतिवादी स्टोन क्रशिंग यूनिट को ऐसा अवसर दिए जाने के बावजूद, प्रदूषणकारी तत्व अभी भी अनुमेय सीमा से परे हैं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

(32) निर्णय के विरुद्ध दायर 2001 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 1442 को उच्चतम न्यायालय ने 2 फरवरी, 2001 को खारिज कर दिया था। 2000 के सीडब्ल्यूपी नंबर 6969 (जय भारत स्टोन क्रशिंग बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) में याचिकाकर्ताओं ने मंडमस की एक रिट जारी करने की मांग की, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को गुड़गांव जिले के लखुवास गांव में स्टोन क्रशर के संचालन के लिए वर्ष 1999-2000 के लिए सहमति पत्र देने का निर्देश दिया गया। इसमें याचिकाकर्ता के एक आवेदन को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 18 दिसंबर, 1997 की अधिसूचना के आधार पर 8 जून, 2000 को खारिज कर दिया गया था, जो गांव की आबादी से 850 मीटर के दायरे में स्टोन क्रशर के निर्माण पर रोक लगाता है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय

के ध्यान में 30 अक्टूबर, 1998 की नवीनतम अधिसूचना लाई, जिसके द्वारा दूरी को 400 मीटर तक कम कर दिया गया था। इसमें याचिकाकर्ता का स्टोन क्रशर गांव की आबादी से 500 मीटर की दूरी पर स्थित था। इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि 30 अक्टूबर, 1998 की अधिसूचना के मद्देनजर याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार किया जाए। उपर्युक्त आदेश 14 दिसम्बर, 2000 को पारित किया गया था। उपर्युक्त से यह स्पष्ट हो गया है कि दिनांक 30 अक्तूबर, 1998 की अधिसूचना को इस न्यायालय द्वारा न्यायिक रूप से अनुमोदित किया गया है।

(33) इसके अलावा, हमारी राय है कि प्रतिवादियों द्वारा विशेषज्ञ की राय के आधार पर निर्धारित की गई दूरियों को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पंजाब राज्य की स्थलाकृति लगभग हरियाणा राज्य के समान है। इस कारण हरियाणा राज्य ने पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। हमारा विचार है कि प्रतिवादियों की कार्रवाई को मनमाना या दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 64)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

(34) हमारे समक्ष यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 4, 5 और 6 को स्टोन क्रशर जोन के भीतर स्टोन क्रशिंग इकाइयों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। ईश्वर सिंह के मामले (पूर्व) में सुनाया गया फैसला अबादी गांव से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर चल रहे स्टोन क्रशरों से संबंधित है। वे दिनांक 18 दिसम्बर, 1992 की अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कार्य कर रहे थे। इसलिए हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पहले के मुकदमे में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश का कोई उल्लंघन या धोखा नहीं हुआ है। बैठने के पैरामीटर विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर आधारित हैं। पक्षकारों के बीच पहले के सभी मुकदमों में विशेषज्ञ की राय को स्वीकार किया गया है। हमें अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं दिखता है। वास्तव में, पंजाब राज्य द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्टों पर भरोसा करते हुए, कुछ अन्य राज्यों ने बैठने के मापदंडों को 500 मीटर, 250 मीटर और 200 मीटर की दूरी तक कम कर दिया है। इसलिए, हमें याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ वकील द्वारा दी गई प्रस्तुतियों में कोई दम नहीं मिलता है। हमें श्री सिब्बल की इस

दलील में भी कोई दम नजर नहीं आता कि क्रशर जोन पंजाब अनुसूचित सड़क और अनियंत्रित विकास नियंत्रण अधिनियम, 1963 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए स्थापित किए गए हैं। उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक अधिसूचना 22 जनवरी, 1991 को जारी की गई थी। लेकिन पहले के मुकदमे में कोई चुनौती नहीं दी गई थी।

(35) श्री सिब्बल ने यह भी तर्क दिया था कि यद्यपि प्रतिवादियों ने पंजाब राज्य को प्रस्तुत विशेषज्ञ रिपोर्ट के आधार पर अबादी गांव से 1 किमी से 400 मीटर तक की दूरी को विभिन्न अधिसूचनाओं में कम करने को उचित ठहराया है। उपर्युक्त कारणों का उल्लेख आधिकारिक फाइलों में नहीं किया गया है। इसलिए हमने राज्य के वकील से संबंधित फाइल पेश करने को कहा था। उसी का उत्पादन किया गया है। हमने रिकॉर्ड की जांच की है। हम पाते हैं कि विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई प्रस्तुति बिना किसी आधार के है। रिट याचिकाओं में बताए गए कारण आधिकारिक फाइल के पृष्ठ 72, 73, 79 और 84 से पूरी तरह से सामने आए हैं। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय के लिए यह पूरी

तरह से अनुचित होगा कि वह विशेषज्ञ निकायों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के लिए अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित करे, जिन्हें प्रतिवादियों-हरियाणा राज्य द्वारा स्वीकार किया गया है। इसी तरह की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने श्री सच्चिदानंद पांडे (पूर्व) के मामले में दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में विचार किया था। उस मामले में, यह तर्क दिया गया था कि सरकार पारिस्थितिक विचारों के प्रति जागरूक नहीं थी, विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के प्रश्न के बारे में जब उन्होंने ताज ग्रुप ऑफ होटल्स को भूमि पट्टे पर देने का निर्णय लिया था। इस तर्क का समर्थन करने की कोशिश की गई कि 7 जनवरी, 1981 और 9 सितंबर, 1981 के दो कैबिनेट ज्ञापनों में से किसी में भी प्रवासी पक्षियों का उल्लेख नहीं किया गया था। पीठ की ओर से बोलते हुए चिन्नप्पा रेड्डी, जे. ने निम्नानुसार टिप्पणी की -

"22.....यह सोचना गलत है कि जो कुछ भी नहीं है

मंत्रिमंडल ज्ञापन में उल्लिखित पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया। हमें याद रखना चाहिए कि ताज ग्रुप ऑफ होटल्स टूल को भूमि चुनने और आवंटित करने की प्रक्रिया

लगभग दो साल पुरानी थी, जिसके पाठ्यक्रम को धीमा कर दिया गया था, जिसके पाठ्यक्रम को समय-समय पर विभिन्न प्रकार की आपत्तियां उठाई गई थीं। यह आवश्यक नहीं था कि इनमें से प्रत्येक आपत्तियों का उल्लेख किया गया हो और प्रत्येक कैबिनेट ज्ञापन में उन पर विचार किया गया हो। ..."

(36) श्री सिब्बल का तर्क निर्णय के पैरा 4 में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया प्रतीत होता है जो इस प्रकार है -

4. भारत में, दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह, अनियंत्रित विकास और इसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय गिरावट तेज़ी से खतरनाक अनुपात ले रही है और सभी भारतीय शहर इस समस्या से पीड़ित हैं। कभी इंपीरियल सिटी ऑफ कलकत्ता भी इसका अपवाद नहीं रहा। वर्तमान मामले में उठाया गया प्रश्न यह है कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राणी उद्यान की कीमत पर एक पांच सितारा होटल के निर्माण के लिए भूमि का आवंटन करने में पर्यावरण की समस्या के बारे में जागरूकता की इतनी कमी दिखाई है कि इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है। जाहिर है, यदि

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 68)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

सरकार विचार और विचार-विमर्श की आवश्यकता वाले विभिन्न विचारों के प्रति जागरूक है और उन्हें ध्यान में रखते हुए एक सचेत निर्णय पर पहुंची है, तो यह इस न्यायालय के लिए दुर्भावना की अनुपस्थिति में हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। दूसरी ओर, यदि प्रासंगिक विचारों को ध्यान में नहीं रखा जाता है और अप्रासंगिक विचार निर्णय को प्रभावित करते हैं, तो अदालत जनता के लिए पूर्वाग्रह की संभावना को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है। जब भी पारिस्थितिकी की समस्या न्यायालय के समक्ष लाई जाती है, तो न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 48-ए, निर्देशक सिद्धांत को ध्यान में रखने के लिए बाध्य होता है जो कहता है कि "राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा," और अनुच्छेद 51-ए (जी) जो इसे भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य घोषित करता है कि "प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना" है। जिसमें जंगल, झील, नदियाँ और वन्य जीवन शामिल हैं और जीवित प्राणियों के लिए करुणा रखना है। जब न्यायालय को नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य को प्रभावी करने के लिए बुलाया जाता है, तो न्यायालय को अपने कंधों को झुकाना नहीं चाहिए और यह कहना चाहिए कि

प्राथमिकताएं नीति का विषय हैं और इसलिए यह नीति बनाने वाले प्राधिकरण का मामला है। अदालत कम से कम यह जांच कर सकती है कि क्या उचित विचारों को ध्यान में रखा गया है और असमानताओं को बाहर रखा गया है। उचित मामलों में, न्यायालय आगे बढ़ सकता है, लेकिन कितना आगे बढ़ना मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करना चाहिए। न्यायालय हमेशा आवश्यक निर्देश दे सकता है। हालांकि, न्यायालय प्रासंगिक विचारों को अच्छी तरह से संतुलित करने का प्रयास नहीं करेगा। जब प्रश्न में प्रासंगिक विचारों का अच्छा संतुलन शामिल होता है, तो न्यायालय संबंधित प्राधिकारी के निर्णय की स्वीकृति के लिए खुद को त्यागने में उचित महसूस कर सकता है। अब हम वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

(37) इन मामलों में न्यायिक समीक्षा के दायरे को बड़ी संख्या में मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। एस.पी. गुप्ता के मामले (सुप्रा) में, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 70)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

"24. न्यायालय के लिए यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अधिकार और न्यायसंगतता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है और यह एक सार्वजनिक प्राधिकरण के राज्य के आदेश पर हर चूक नहीं है जो न्यायसंगत है। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपने न्यायिक कार्य की सीमाओं का उल्लंघन न करे और उन क्षेत्रों में अतिक्रमण न करे जो संविधान के तहत कार्यपालिका और विधायिका के लिए आरक्षित हैं।

(38) **टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ के मामले में**[9] **यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यायिक समीक्षा उस निर्णय के गुण-दोष की समीक्षा के साथ नहीं की जाती है जिसके समर्थन में न्यायिक समीक्षा के लिए आवेदन किया गया है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया ही है। इस सिद्धांत को लॉर्ड ब्राइटमैन के नॉर्थ वेल्स पुलिस के मुख्य**

[9] **जे.टी 1994 (4) एससी 532**

कांस्टेबल बनाम इवांस[10] **के मामले में दिए गए फैसले से हटा दिया गया है, जिसमें यह निम्नानुसार देखा गया था:**

"न्यायिक समीक्षा, जैसा कि शब्दों का अर्थ है, एक निर्णय से अपील नहीं है, बल्कि निर्णय लेने के तरीके की समीक्षा है।

न्यायिक समीक्षा का संबंध निर्णय से नहीं, निर्णय लेने की प्रक्रिया से है। जब तक अदालत की शक्ति पर प्रतिबंध का पालन नहीं किया जाता है, तब तक मेरे विचार से अदालत सत्ता के दुरुपयोग को रोकने की आड़ में खुद सत्ता हथियाने की दोषी होगी।

(39) सुप्रीम कोर्ट ने लॉर्ड ग्रीन एम.आर. द्वारा **एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसलिमिटेड बनाम वेडेन्सबरी कॉर्पोरेशन**[11] **के मामले में निर्धारित नियम को**

---

[10] **1982 3 सभी ई.आर. 141 पर 154**

[11] **(1947) 2 सभी ईआर 680 = (1948) 1 केबी 223**

मंजूरी दे दी। इसे लोकप्रिय रूप से वेडेन्सबरी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है जो इस प्रकार है :-

"4. वेडेन्सबरी सिद्धांत - एक सार्वजनिक प्राधिकरण का निर्णय न्यायिक समीक्षा कार्यवाही में एक उचित आदेश द्वारा रद्द या अन्यथा निपटा जा सकता है, जहां अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि निर्णय ऐसा है कि संबंधित कानून पर खुद को ठीक से निर्देशित करने और यथोचित रूप से कार्य करने वाला कोई भी प्राधिकरण उस तक नहीं पहुंच सकता था।

(40) उपर्युक्त से, यह स्पष्ट हो जाता है कि नीति के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा ऊपर परिभाषित बहुत संकीर्ण सीमाओं तक ही सीमित है। इसलिए, हमें समय-समय पर अबादी गांव से स्टोन क्रशर स्थापित करने के लिए दूरी सीमा को संशोधित करने में हरियाणा राज्य द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

(41) हमने तथ्यात्मक स्थिति पर विस्तृत रूप से चर्चा की है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि रिट याचिकाएं जनहित में दायर नहीं की गई हैं। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए दावों में रत्ती भर भी सच्चाई होती, तो वे 18 दिसंबर, 1992 की अधिसूचना के मूल प्रावधान को चुनौती देते, जिसमें गांव की आबादी से 1 किमी की सीमा से 1 किमी की दूरी से चिन्हित क्षेत्रों के भीतर स्थित स्टोन क्रशरों को छोड़ दिया गया था। ईश्वर सिंह के मामले (पूर्व) में भी दलील दी गई थी कि चिन्हित क्षेत्रों के बाहर और गांव की आबादी से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर चल रहे स्टोन क्रशरों को बंद किया जाए। इसमें याचिकाकर्ताओं की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया। उस मामले में निजी प्रतिवादियों या किसी अन्य स्टोन क्रशर ने 18 दिसंबर, 1992 की अधिसूचना को जवाबी रिट याचिका दायर करके चुनौती देने की परवाह नहीं की। इसलिए, उन्होंने दिनांक 4 अगस्त, 1992 की अधिसूचना में प्रदान किए गए अभिज्ञात क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद स्टोन क्रशर मालिकों ने 1995 की सीडब्ल्यूपी संख्या 17459 दायर की, जिसमें ईश्वर सिंह के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच द्वारा जारी निर्देशों में संशोधन की मांग की गई। इस दावे को डिवीजन बेंच द्वारा खारिज कर दिया गया था जैसा कि फैसले

के पहले भाग में देखा गया था। उपर्युक्त निर्णयों के विरुद्ध दायर सिविल अपीलों को वापस लिए गए के रूप में खारिज कर दिया गया था। चिन्हित क्षेत्रों के भीतर चल रहे और चिन्हित क्षेत्रों के भीतर संचालित नहीं होने वाले स्टोन क्रशरों के मानदंडों में अंतर को इस न्यायालय की खंडपीठ ने फातिया मोहम्मद के मामले (पूर्व) में स्वीकार किया है। उपरोक्त फैसले पर भरोसा करते हुए जब सीडब्ल्यूपी संख्या 17654, 17647, 16520, 16853, 16832, 17101, 12178 और 1996 के 12547 को खारिज कर दिया गया था। कई अन्य रिट याचिकाओं में, जिनके ब्यौरे ऊपर देखे गए हैं, इस न्यायालय ने दिनांक 30 अक्तूबर, 1998 की अधिसूचना में निर्धारित मानदंडों को सही ठहराया। उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति के बावजूद, वर्तमान तीन रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। हम यह देखने के लिए विवश हैं कि इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता नौरंगपुर गांव की जनता के अलावा अन्य हितों से प्रेरित हैं। प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा इस आशय की प्रस्तुतियां कि ये रिट याचिकाएं 850 मीटर की सीमा से अधिक चल रहे स्टोन क्रशरों के इशारे पर दायर की गई हैं, प्रशंसनीय प्रतीत होती हैं। हमारा विचार है

कि जनहित याचिका के नाम पर याचिकाकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय की प्रक्रिया का पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है।

(42) 1999 के सीडब्ल्यूपी सं 12919 में 4 अक्तूबर, 1999 के लिए 14 सितंबर, 1999 को प्रस्ताव की सूचना जारी की गई थी। इस बीच, प्रतिवादी संख्या 4 से 6 को अनुलग्नक पी -9 से पी -11 के संदर्भ में अपने स्टोन क्रशर जोन का संचालन शुरु नहीं करने का निर्देश दिया गया था। स्थगन का अंतरिम आदेश आज तक जारी है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि रिट याचिकाएं 1998 के सीडब्ल्यूपी नंबर 17168 के समान थीं। इस रिट याचिका में 9 नवम्बर, 1998 को 16 नवम्बर, 1998 के लिए प्रस्ताव की सूचना जारी की गई थी। तत्पश्चात् यह मामला 16 नवम्बर, 1998 को सुनवाई के लिए आया और 26 नवम्बर, 1998 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यह भी निर्देश दिया गया था कि "यदि स्टोन क्रशर ने आज तक काम करना शुरु नहीं किया है, तो लागू अधिसूचनाओं के आधार पर इसे शुरु करने की अनुमति नहीं दी जाएगी"। इसके बाद, 7 दिसंबर, 1998 को रिट याचिका को एक खंडपीठ द्वारा सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया। इस

मामले को 11 जनवरी, 1999 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। अंतरिम आदेश आज तक जारी है। रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, निजी उत्तरदाताओं के विद्वान वकील उन्हें दैनिक आधार पर होने वाले वित्तीय घाटे की विशालता को इंगित करने के लिए परेशान थे। उन्होंने भारी निवेश किया है और इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के मद्देनजर स्टोन क्रशर बेकार पड़े हैं।

(43) हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान रिट याचिकाएं नौरंगपुर गांव के निवासियों की किसी भी शिकायत का वास्तव में निवारण करने के लिए अच्छी नीयत से दायर नहीं की गई हैं। ऐसा लगता है कि रिट याचिकाएं केवल वर्तमान मापदंडों के तहत नए स्टोन क्रशरों की स्थापना को रोकने के लिए दायर की गई हैं।

(44) ऊपर वर्णित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम याचिकाकर्ताओं पर बहुत भारी जुर्माना लगाने के लिए उचित होंगे। हालांकि, हम केवल 2,000 रुपये के जुर्माने के साथ रिट याचिकाओं को खारिज करके याचिकाकर्ताओं के आचरण के बारे में अदालत की नाराजगी को रिकॉर्ड पर रखते हैं।

(45) तदनुसार आदेश दिया।

(46) मैं सहमत हूँ।

चीफ जस्टिस बिनोद कुमार रॉय

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता महाजन

सुखदेव सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पृष्ठ 78)

(मुख्य न्यायमूर्ति - बिनोद कुमार रॉय के समक्ष और जस्टिस एस.एस. निज्जर)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (2)

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कैथल, हरियाणा